राजनीति विज्ञान

अध्याय-2: भारतीय संविधान में अधिकार

अधिकार

अधिकार का अर्थ

मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार परमावश्यक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य व्यक्ति को ये सुविधाएँ प्रदान करता है। राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। अधिकार का आशय राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली उन सुविधाओं से है जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास करता है।

अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए वर्तमान में प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को अधिकाधिक अधिकार प्रदान करता है।

Fukey Education

अधिकार की परिभाषा

राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने अधिकार भी परिभाषा अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) बोसांके के अनुसार,

"अधिकार वह माँग हैं जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है।"

(2) वाइल्ड के अनुसार,

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

"अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित माँग है।"

(3) गार्नर के अनुसार,

"उन शक्तियों, जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं, को अधिकार कहा जाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य जिन्हें लागू करता है।

अधिकार के आवश्यक लक्षण

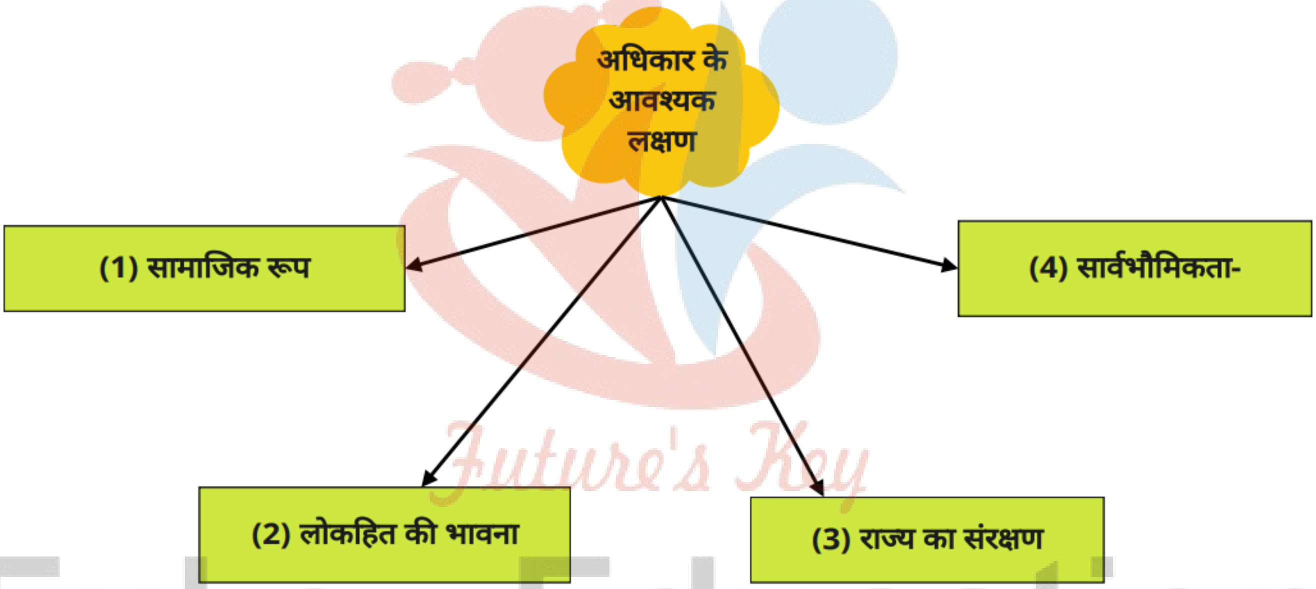

(1) सामाजिक रूप-

अधिकार सामाजिक वस्तु है अर्थात् उनका अस्तित्व समाज में ही सम्भव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे पग-पग पर अन्य व्यक्तियों के स्वार्थों से उलझना होता है अन्य व्यक्तियों के स्वार्थ उनकी उन्नति में बाधक होते हैं। इसलिए उसे कुछ ऐसी सुविधाओं तथा स्वतन्त्रता की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह बिना किसी के अनुचित हस्तक्षेप के अपना विकास कर सके। इन्हीं सुविधाओं और स्वतन्त्रतों का नाम अधिकार है। इसी स्थान पर यह

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

कहना अनुचित न होगा कि अधिकार उस समय तक अधिकार नहीं होता, जब तक कि समाज उसे स्वीकार न कर ले। समाज किसी अधिकार को उस समय स्वीकार करेगा, जब समाज में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति इस बात से सहमत हो कि वह अधिकार व्यक्तियों की उन्नति के लिए आवश्यक है और मनुष्य द्वारा उस अधिकार के उपयोग से अन्य व्यक्तियों का अहित नहीं होगा। इस सामाजिक स्वीकृति का आधार नैतिक होता है। उसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधार का लक्ष्य सामाजिक होता है।

(2) लोकहित की भावना-

अधिकारों के स्वरूप के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका सम्बन्ध अनिवार्यतः लोकहित से होता है। अधिकारों को मान्यता प्राप्त होती है, यह केवल इसलिये कि वह मानव की उन्नति में सहायक होते हैं। अधिकार के आचरण में केवल वे ही स्वतन्त्रताएँ सम्मिलित होती हैं जो मानव के लिए हितकर होती हैं अर्थात् जो उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देने वाली हैं। इसी कारण आत्महत्या, करना, जुआ खेलना तथा शराब पीना आदि की स्वतन्त्रताएँ अधिकार की श्रेणी में नहीं आती

(3) राज्य का संरक्षण-

साथ ही अधिकारों का एक आवश्यक लक्षण यह है कि राज्य उनका संरक्षक होता है। इस स्थिति में राज्य का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह यह देखे कि सब व्यक्ति समान रूप से अधिकारों का उपभोग करते हैं तथा कोई व्यक्ति उनका दुरूपयोग तो नहीं करता अर्थात् अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के उपभोग में बाधक तो नहीं हैं।

(4) सार्वभौमिकता-

अधिकारों की अनिवार्यता सबके लिये समान होती है अथवा यह कहना चाहिये कि अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। अधिकारों की इस सार्वभौमिकता के कारण ही कर्त्तव्य की सृष्टि होती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है तो अन्य व्यक्तियों को भी जीवन का समान अधिकार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है। कि औरों के जीवन का अन्त न करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं होते। वे एक-दूसरे के

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

सहगामी है। जैसाकि वाइल्ड ने कहा है- “केवल कर्त्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व होता है।”

अधिकारों की आवश्यकता

जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नही होती, वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संविधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है।

मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं । मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं !

ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है ।विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मोलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है।अनुच्छेद 13 के अनुसार – मौलिक अधिकार न्यायलय द्वारा प्रवर्तनीय है तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है।मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिये गये थे लेकिन 1978 में 44वे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है ।

किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक) के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है । मौलिक अधिकार, वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य है और जिन्हें राज्य के विरूद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इनके अभाव में लोकतंत्र मात्र कल्पना होगा । किसी भी लोकतंत्र की असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश की जनता को आमतौर पर कौन-सी नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त है। वस्तुतः नागरिक स्वातंत्र्य ही मूल अधिकार है ।

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

प्रत्येक लोकतंत्र राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिक को विकास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है । सभी लोकतंत्र इसी प्रयोजन के लिए मौलिक अधिकार की एक सूची अपने संविधान द्वारा प्रत्याभूत करके उन्हें कार्यपालिका तथा विधान मण्डल के अतिक्रमण से सुरक्षित रखते है। मौलिक अधिकारों का अर्थ हैं परिसीमित प्रशासन और परिसीमित प्रशासन का उदेश्य है कार्यपालिका और विधानमण्डल की स्वतंत्रता अथवा सम्मिलित रूप में तानाशाही की प्रवृति पर प्रतिबंध लगाना।

मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार-स्तम्भ है। मूल अधिकारों से उन परिस्थितियों अथवा सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्त्व में पूर्णता प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से अपरिहार्य मानी जाती है।

अधिकारों का घोषणा पत्र

प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदत और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।

हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं अगर किसी को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान में एक अनुच्छेद है जो इनको संवैधानिक उपचार का अधिकार एक अनुच्छेद है इसको इसके तहत न्यायालय जो है वह आपके साथ जो भेदभाव हुआ है आपको जो अधिकार अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसको फिर से बहाल किया जा सकता है यह सही अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।

मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता। ये अधिकार कई करणों से मौलिक हैं:-

इन अधिकारों को मौलिक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इन्हे देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता।

ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं, इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।

इन अधिकारों का उल्लंघन नही किया जा सकता।

मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते है।

साधारण कानूनी अधिकारों व मौलिक अधिकारों में अंतर

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है।

साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किये जा सकते हैं परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में परिवर्तन आवश्यक हैं।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है

- समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।
- स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।
- शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।
- धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।
- सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32

Fukey Education

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

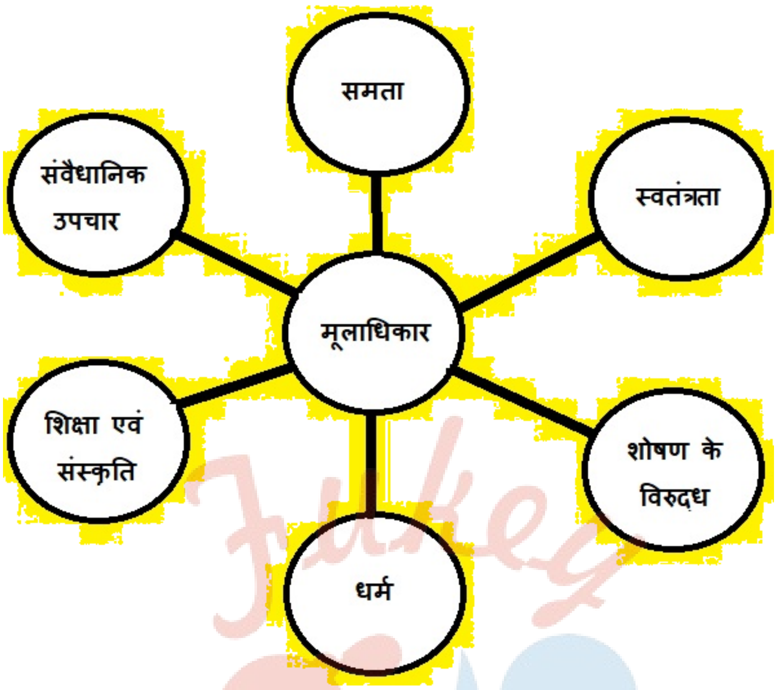

समता का अधिकार :-

विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समता का अधिकार का निर्माण किया गया है, जो अनुच्छेद 14-18 में संरक्षित है।

अनुच्छेद 14 :- कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण।

अनुच्छेद 15 :- धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 :- रोजगार में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 17 :- छुआछूत की समाप्ति।

अनुच्छेद 18 :- पदों का अंत।

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

नुच्छेद 14 से 18 द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है

विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार

अनुच्छेद 14 यह निश्चित करता है कि" भारत राजू क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा"

एक है ' विधि के समक्ष समता' दूसरा है ' विधियों का समान संरक्षण' ' विधि के समक्ष समता' यह वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधान में पाया जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद साथ यह कहता है कि " विधि के समक्ष सभी समान है और बिना किसी भेदभाव के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी हैं"

'विधि के समक्ष समता' यह वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार 'रूल ऑफ लॉ' कहते हैं इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिटी की समानता(equality of status) की स्थापना करता है

वैसे तो यदि देखा जाए तो दोनों वाक्यांशों में समानता है, किंतु जहां तक अर्थ का प्रश्न है, दोनों में कुछ अंतर है" विधि के समक्ष समता" यह एक नकारात्मक वाक्यांश है जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ कानून द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों तथा दिए गए कर्तव्य दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण कानून के अधीन होगा

" विधि का समान संरक्षण" इस वाक्य का समानता का सकारात्मक रूप है समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना जिसका तात्पर्य है अर्थात समान कानूनों को लागू करना किंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दोनों वाक्यों का एक ही उद्देश्य है और वह है समान न्याय

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के मामले में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि" विधि का समान संरक्षण" विधि के समक्ष समता का है उप सिद्धांत है क्योंकि उन परिस्थितियों की कल्पना करना कठिन है जब विधि के समान संरक्षण के अधिकार को रोके विधि के समक्ष समता के अधिकार को कायम रखा जा सकता है इस प्रकार दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है सिद्धांता उन दोनों वाक्यों में अंतर हो सकता है लेकिन व्यवहारिक रूप में दोनों में कोई अंतर नहीं है

स्वतंत्रता का अधिकार:-

कानून के दायरे में रहकर चिंतन, अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। इसे अनुच्छेद 19-22 में संरक्षित किया गया है।

अनुच्छेद 19 :- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने-जाने में रहने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20:- अपराधों के लिए दोषीसिद्धि व्यक्तियों के संरक्षण में अधिकार।

अनुच्छेद 21 :- जीवन जीने का अधिकार।

अनुच्छेद 22:- अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार।

भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार - अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किन्तु वह कार्य गैर क़ानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरुरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई थीं, और इनमें से छठी स्वतंत्रता "सम्पत्ति की स्वतंत्रता" थी, जिसे भारतीय संविधान के 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ - साथ "संपत्ति की स्वतंत्रता" भी समाप्त कर दी गई है, किन्तु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 'अ' में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न हैं

- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- अस्त्र - शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता
- समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता
- भ्रमण की स्वतंत्रता
- निवास की स्वतंत्रता
- व्यवसाय की स्वतंत्रता

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका भी अधिकार क्षेत्र सीमित है, कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतन्त्र है, जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है।

अस्त्र - शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता

व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन का आयोजन भी किया जा सकता है, और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है।

समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता

संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है, इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें, या ऐसा करने का प्रयास करे।

भ्रमण की स्वतंत्रता

Fukey Education

भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार - पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं, यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकता है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है, तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रूकावट के सीधे अपनी बात रखने और अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्छ न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां से उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान कराया जायेगा।

निवास की स्वतंत्रता

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, किन्तु भारत की संसद में एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया था, अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में भी अपनी खुद की संपत्ति का आनंद उठा सकता है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता

भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है, कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किन्तु वह कार्य गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणतया किसी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा। किन्तु इस सबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोग ही चुने जाएँ, तो वह कार्य भी सरलता से किया जा सकेगा, अथवा सरकार किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भी अपने हाथ में ले सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार :-

देश में हो रहे निरंतर शोषण को रोकने के लिए इस अधिकार का निर्माण किया गया है और इसे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में संरक्षित किया गया है

अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर निषेध।

अनुच्छेद 24 :- जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक।

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

- अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय-विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित करता है।
- अनुच्छेद 23 न केवल राज्य के विरुद्ध वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षा प्रदान करता है।
- लेकिन इसका एक अपवाद भी है। राज्य को सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 24 यह उपबंध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में या किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

Fukey Education

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

- भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अत: संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म में विश्वास करने, धार्मिक कार्य करने व उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अनुच्छेद 25 यह प्रावधान करता है कि सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। किन्तु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक सम्प्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंध का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या उसके पोषण में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि जो विद्यालय पूरी तरह सरकारी राजकोष में चलाए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो विद्यालय सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं अथवा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनमें विद्यार्थी या उसके संरक्षक की स्वीकृति के बिना दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

Fukey Education

संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार

- भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। अत: संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 29 प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हों, चाहे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हों, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रबंध का अधिकार देता है ।
- अनुच्छेद 30 के खण्ड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई संस्था किसी विशेष धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है।

Fukey Education

संवैधानिक उपचारों का अधिकार:-

उपरोक्त सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस अधिकार का निर्माण किया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। इस अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

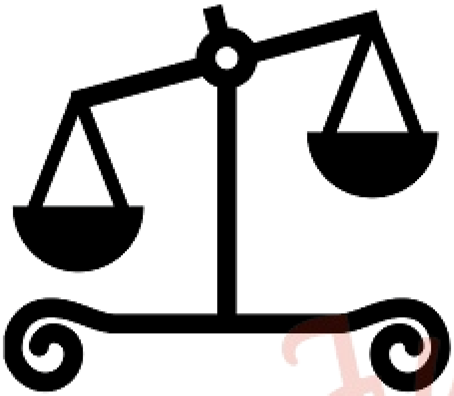

अनुच्छेद 32 (क) :- भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिये लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 (ख) :- माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है जो समुचित हो।

पाँच न्यायिक रिट

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- अधिकार-पृच्छा
- उत्प्रेषण।

Fukey Education

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय (एससी) में याचिका दायर करने का विशेषाधिकार है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) शामिल है।

- अनुच्छेद 32 और 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सशक्त बनाते हैं।
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32, 35 और 226 में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार की मांग कर सकता है।
- भारतीय संविधान का भाग III संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) से संबंधित है।
- इस लेख में संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) पूरी तरह से शामिल किया गया है। यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करें।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)	अनुच्छेद 35
• अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश/आदेश/रिट जारी करने के लिए अदालतों को स्थानांतरित करने का अधिकार • अनुच्छेद 32 . के तहत जारी रिट • बंदी प्रत्यक्षीकरण- (एक शरीर रखने के लिए) • यह नजरबंदी के मामले में व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी किया जाता है। • परमादेश-(हम आज्ञा देते हैं) • यह तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है। • निषेध – (निषेध करना) • यह एक निवारक रिट है। एक निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोका जाता है। • क्यू वारंटो- (किस अधिकार से) • सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता के लिए जारी किया गया। • सर्टिओरीरी- (प्रमाणित किया जाना है) • यह एक उपचारात्मक रिट है। उच्च न्यायालय निचली अदालत को लंबित मामले को स्थानांतरित करने या आदेश को रद्द करने का आदेश देता है।	मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है

अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित चार प्रावधान हैं:

- यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या उन मामलों में जब उनका उल्लंघन किया गया है, उचित कार्यवाही की मदद से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अधिकार की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट के रूप में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है।
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संसद सभी प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकती है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) को निलंबित नहीं किया जाएगा।
- मौलिक अधिकार अनुच्छेद के उल्लंघन के बिना, 32 को लागू नहीं किया जा सकता है।
- इस प्रकार, अनुच्छेद 32 एक विशेष क्षेत्राधिकार के बजाय एक समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
- मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से उपचार की मांग कर सकता है।

Fukey Education

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है।

इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।

इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है।

यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

- राज्य के नीति निर्देशक तत्व (directive principles of state policy) जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं।
- सबसे पहले ये आयरलैंड (Ireland) के संविधान मे लागू किये गये थे।
- वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए है।
- इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की स्थापना करना है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गये हैं।
- भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते है इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं।

नागरिक के मौलिक कर्तव्य

- वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, अर्थात 11 मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य हैं।
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है।

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com

- भारतीय मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, तिरंगे का सम्मान, राष्ट्रगान के प्रति आदर-सम्मान का भाव रखना एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया हैं।

नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर

- मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के पास प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन, नीति-निर्देशक तत्त्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं।
- मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किये जा साकते हैं, लेकिन नीति-निर्देशक तत्त्व नहीं।
- मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति-निर्देशक तत्त्वों के लिए नहीं।

Future's Key
Fukey Education

Website - www.fukeyeducation.com, Email :- fukeyeducation@gmail.com